

(4)

81

2. लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नलिखित रूप में होगी :-

पत्र-1 इकाई-1- फार्मास्युटिक्स

1. टैबलेट एवं टैबलेट कोटिंग
2. कैप्सूल्स
3. इमलशन, सरपेन्शन, ऑइंटमेंट और क्रीम
4. ऑर्थोल्मिक सोल्यूशन
5. ब्लड फ्ल्यूड एवं इलेक्ट्रोलाइट्स
6. पैरेन्टेरल प्रिपेरेशन एवं क्वालिटी कंट्रोल
7. सर्जिकल ड्रेसिंग
8. बॉयोलोजिकल प्रिपेरेशन (सेरा, वैक्सिन एवं एंटी-सेरा)
9. बॉयो फार्मास्युटिक्स

पत्र-1 इकाई- II - फार्मास्युटिकल विश्लेषण

1. लिमिट टेस्ट
2. बॉयो-ऐसे
3. स्टेरिलिटी टेस्ट
4. पॉयरोजन टेस्ट
5. थ्योरी एवं एप्लिकेशन ऑफ कॅलरिगेट्री, फलोरीमीटर, नेफलोमीटर एवं टरबिडोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
6. कार्ल फिशर टाइट्रेशन
7. अल्कालि डिटरमिनेशन
8. मर्क्युरीबॉयोलोजिकल ऐसे ऑफ विटामिन, एंटी बॉयोटिक्स एवं वैक्सिन प्रिपेरेशन

पत्र-2 इकाई-1- मेडिसीनल केमिस्ट्री

डिफिनिशन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, स्टोरेज, प्रिपेरेशन एण्ड ब्राण्ड नेम्स ऑफ द फॉलोविंग क्लासेस ऑफ ड्रग्स

1. स्टीरॉयड्स
2. सेडेटिक्स एवं हिपनोटिक्स
3. साईको-थेराप्यूटिक एजेंट्स
4. एंटी-इंस्टामिनिक एजेंट्स
5. एनाल्जेसिक्स (नारकोटिक, नॉन-नारकोटिक एवं एनसेड्स)
6. कार्डियोवस्कूलर एजेंट्स

पत्र-2 इकाई-II- फार्माकोगोसी

सोर्स, केमिकल कन्सटिच्यूएन्स, यूजेज एण्ड एडलटेरेन्स ऑफ द फॉलोविंग क्लासेस ऑफ नेचुरल ड्रग्स

1. राउल्फिया
2. इपीकेक्यूहना
3. बेताडोना
4. सिनकोन
5. सिनामन
6. डिजिटेलिस

1146(15)  
11/11/14

7. सेना
8. एलो
9. नक्सयोमिका
10. ऑपियम
11. कूरची
12. ब्राह्मी
13. तुलसी
14. बेल
15. एफेड्रा

पत्र-3 इकाई-I- एनोटॉमी, फिजियोलॉजी एवं हेल्थ एज्युकेशन

एनोटॉमी एवं फिजियोलॉजी - निम्नांकित सिस्टम के बारे में प्रारम्भिक जानकारी :

1. डाईजेस्टिव सिस्टम
2. सर्कुलेटरी सिस्टम
3. रेस्पिरेटरी सिस्टम
4. यूरेनेरी सिस्टम
5. नर्वस सिस्टम
6. रिप्रोडक्टिव सिस्टम
7. सेन्स ऑरगेन्स

हेल्थ एज्युकेशन

1. न्यूट्रिशन
2. फर्स्ट ऐड
3. पोपुलेशन कंट्रोल
4. एड्स कंट्रोल

पत्र-3 इकाई-II- फार्माकोलॉजी एवं टॉक्सिकोलॉजी

इंट्रोडक्शन एवं जेनेरल प्रिन्सिपल -

1. मोड ऑफ एक्शन
2. ड्रग रिसेप्टर
3. ड्रग इंटेरेक्शन एवं ड्रग एण्टागोनिज्म
4. एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रिब्यूशन, मेटाबोलिज्म एवं एक्सक्रिशन ऑफ ड्रग्स
5. रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन
6. बॉयोएविलिटी
7. ड्रग डिपेन्डेंस एव एडिक्शन
8. ड्रग एब्यूज एवं टॉक्सिसिटी
9. एडवर्स ड्रग रिएक्शन एव ड्रग एलर्जी
10. बॉयोस्टेटिक्स

1146(15)  
8/11/14

पत्र- 4 इकाई-I- फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रुडेंस एवं हॉस्पिटल फार्मसी

फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रुडेंस

1. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्सन्निहित नियमावली, 1945 सभी संशोधनों सहित
2. फार्मसी एक्ट, 1948
3. ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) आदेश, 2013
4. ड्रग्स एण्ड मैजिक रेमेडीज (ऑब्जेक्शनेबल एडवरटीजमेंट) एक्ट, 1954 एवं रूल्स 1955
5. एन डी पी एस एक्ट एवं रूल्स
6. मेडिसिनल एवं टॉयलेट प्रिपेरेशन (एक्सआईज ड्यूटीज) एक्ट, 1955 एवं रूल्स
7. ट्रेडमार्क एक्ट
8. फार्मास्यूटिकल एथिक्स

हॉस्पिटल फार्मसी

1. हेण्डलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन
2. इनकॉम्पेटेबिलिटी
3. स्टोरेज कंडिशनस ऑफ ड्रग्स
3. क्लिनिकल फार्मसी एवं इट्स रोल इन हॉस्पिटल्स

पत्र- 4 इकाई-II- माइक्रोबायोलॉजी

1. बलारसैफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स एवं टेक्सॉनॉमी
2. आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, स्टेन्स एवं टाईप ऑफ स्टेनिंग टेक्निक्स
3. कंट्रोल ऑफ माइक्रोब्स बाय फिजिकल एण्ड केमिकल मेथड, डिसइन्फेक्शन, फेवटर्स इन्फ्लूएंसिंग डिसइन्फेक्टेन्ट्स, डायनेमिक्स ऑफ डिसइन्फेक्शन, डिसइन्फेक्टेन्ट्स एण्ड एण्टीसेप्टिक्स एण्ड देअर इवेल्यूशन
4. स्टोरेलाइजेशन, डिफरेंट मेथड्स, वेलिडेशन ऑफ स्टोरेलाइजेशन मेथड्स एण्ड एक्यूपमेंट्स
5. स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स
6. इम्यूनिटी प्राइमरी एण्ड सेकेन्डरी, डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ बॉडी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस
7. मेथड्स ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ ऑफिशियल संस एण्ड वैक्सिन्स
8. माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स फोर स्टैण्डर्डाइजेशन ऑफ एण्टीबायोटिक्स, विटामिन्स एवं एमिनो एसिड्स, इम्यूनाएसे, एसेसमेंट ऑफ ए न्यू एण्टीबायोटिक एण्ड टेस्टिंग ऑफ एण्टीमाइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ न्यू सब्सटेंस

बिहार राज्यपाल के आदेश से.

सरकार के संयुक्त सचिव  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापक - 15/औ0-14-14/13 1146(15) /स्वा०, पटना, दिनांक - 8/10/14  
प्रतिलिपि : अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना -7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित नियमावली की 200 प्रतियां स्वास्थ्य विभाग, बिहार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापक - 15/औ0-14-14/13

1146(15)

स्वा०. पटना, दिनांक -

8/10/14

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार / सभी असेनिक एवं शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी / सभी अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना / वित्त (बै० दा० नि० को०) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना